

	नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	
---	---	--	---

सी.एस.एफ./2-271/जूली/कृषि/सूरत/2023-

दिनांक: 09.02.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.) द्वारा फार्म के खंड-1 व 2 के चकों में विलायती कीकर(जूलीफ्लोरा) की झाड़ियाँ जमीनी सतह से काटकर एवं कुत्तर बना कर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर ले जाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाइन निविदाएँ दिनांक 16.02.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन (दिनांक 16.02.2024) दोपहर 03:00 बजे खोली जाएंगी। निविदाएँ देने से पहले NEFT/RTGS/Online माध्यम से (जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो) रु. 236/- निविदा फॉर्म राशि व रु. 15,000/- प्रति चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी। निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति देनी होगी। निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

<u>Particulars</u>	<u>Details</u>
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhaar Card/Driving License/Ration Card etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं कुत्तर बना कर ले जानें हेतु नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व NEFT/RTGS/ऑनलाइन के माध्यम से **₹0 15000/-** मात्र प्रत्येक चक के **हिसाब** से धरोहर राशि के रूप में फार्म खाते में (नियम-शर्त क्रमांक 26 के अनुसार) जमा कराना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पते का साक्ष्य (आधार कार्ड), पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य हैं।
3. एक ठेकेदार अधिकतम तीन चक हेतु निविदा डाल सकता है।
4. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। फार्म प्रमुख को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो **अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी** से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा।
7. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां **जमीनी** सतह से काटकर कुत्तर बनाने की दर प्रति किंटल देनी होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
8. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफ्लोरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देख-रेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
9. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां **जमीनी** सतह से काटकर कुत्तर बनाने का कार्य चक रोड एवं खाली क्षेत्र में ही किया जाना है। चकों में हुई बीजाई के दृष्टिगत चकों के बीच में यह कार्य नहीं होगा।
10. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां **जमीनी** सतह से काटकर प्राप्त कुत्तर ले जाना होगा। ठेकेदार को अग्रिम रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेकर ले जाना होगा। अन्तिम रिलीज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलीज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदार को कार्य करने का आदेश मिलने के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरू करना होगा। यह कार्य खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा। कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
12. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनायेगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
13. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर कर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड-1 के माल का वजन खण्ड-1 के धर्मकारों पर और खण्ड-2 व 3 का माल खण्ड-2 के धर्मकारों पर करना होगा।
14. कटाई से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही लकड़ी ले जाने की अनुमति होगी।
15. यदि ठेकेदार कोई अनाधिकृत हरे खड़े वृक्ष को काटता है तो उसे फार्म निदेशक द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को किसी भी अनाधिकृत पेड़ को काटने के मामलों में काटे गए पेड़ को फार्म संपत्ति के रूप में जमा कराना होगा। तथा पकड़े जाने पर आवंटित कार्य को रद्द करते हुए, ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
16. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

17. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। कुत्तर को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 5 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब होने पर निदेशक महोदय की स्वीकृति से समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
18. कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म संपत्ति का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
19. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
20. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है अथवा नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका आवंटित कार्य तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी और उसका कार्य, उस पर आने वाली लागत खर्च एवं जोखिम दूसरे पार्टी से करवाया जाएगा तथा उसकी भरपाई/वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी और ठेकेदार को संस्था से ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।
21. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 5 (पांच) दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
22. वेस्ट मैटिरियल, कॉटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकता।
23. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2024 तक रहेगी जो कि आपसी सहमति के बाद बढ़ाई जा सकती है।
24. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
25. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्च से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा।
26. फर्मो द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572

IFSC Code : SBIN0007774

Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH

Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

27. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

निविदा - प्रपत्र

श्रीमान फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

चकों पर विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर एवं कुत्तर बना कर "जहाँ है जैसा है" के आधार पर ले जाने के लिए टेण्डर फार्म -

खंड - एक	रकम प्रति क्विंटल रूपयों में जो निविदादाता द्वारा फार्म को दी जानी है
BRP-I	
BRP-III	
35STG	
38STG	
39STG	
41STG	
42STG	
44STG	
खंड - दो	
31BPBN	

टेकेदार के हस्ताक्षर

टेकेदार का नाम व पता.....

.....

मोबाईल नं0